

6/8
19

पत्रावली प्रस्तुत। वादी व वादी वकील
अनुपास्थित। वादी व वादी वकील को
न्यायालय समय में रुक रुक कर तीन
बार आवाज लगाई गई। इसके बावजूद
भी वादी व वकील वादी उपास्थित नहीं
आये। वादी वकील को सम्मन / तलवाना
प्रस्तुत करने बाबत निर्देशित किया गया।
लेकिन सम्मन / तलवाना प्रस्तुत नहीं किया

अतः वादी व वादी वकील को
अनुपास्थित रहने एवं सम्मन तलवाना
भरकर प्रस्तुत नहीं करने के कारण
अदम हाजरी व अदम चैबी रवास्ता
किया जाता है।

पत्रावली तदनुसार फ़ैसला सुभार